कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 1845/2021 शेर सिंह यादव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.2021 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष तीन सप्ताह की अवधि में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार, एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए 30 दिवस की अवधि में निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी श्री शेर सिंह यादव, प्रधानाध्यापक, रामावि बुर्जा, बानसूर जिला अलवर द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन स्थान संशोधित कर अलवर जिले में प्रधानाध्यापक के रिक्त पद रामावि बिचपुरी, नीमराना/रामावि निम्बोर, बहरोड़/रामावि उटोली, बहरोड़/रामावि मोलाबास, मुंडावर जिला अलवर में पदस्थापित किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी श्री शेर सिंह यादव, भूतपूर्व सैनिक का आरपीएससी प्रधानाध्यापक-2018 भर्ती में प्रधानाध्यापक पद पर चयन उपरान्त काउन्सलिंग के माध्यम से उनसे प्राप्त सहमति के आधार पर रामावि बुर्जा, बानसर जिला अलवर में पदस्थापन किया गया था। विभागीय आवश्यकता एवं विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए काउन्सलिंग में 100 से कम विद्यार्थी संख्या व शहरी क्षेत्र के विद्यालयों को छोड़कर सभी रिक्तियां प्रदर्शित की गई थी। प्रधानाध्यापक, मा.वि. का पद राज्य सेवा का पद है और सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा इनकी सेवाएं राज्य में कहीं पर भी ली जा सकती है। उक्तानुसार अपीलार्थी श्री शेर सिंह यादव द्वारा की गई मांग उचित नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

Rajasthan Education Department

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/शेर सिंह यादव/1845/2021 **दिनांक:** २०.०९.२१

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक अलवर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री शेर सिंह यादव, प्रधानाध्यापक, को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)